तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रभुदान बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 147/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.23	अपीलार्थी प्रभुदान निवासी 130, वार्ड न. 58, जोधपुर उत्तर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2023 में (1) ग्राम बेवटा, तहसील झंवर जिला जोधपुर के निवासी श्री प्रभुदान चारण एवं अन्य द्वारा श्रीमान अजपर जिला कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा जोधपुर में दिनांक 21 फरवरी 2023 को इस संबंध में एक लिखित शिकायत कार्यालय में प्रस्तुत की थी जिसकी संपूर्ण पारदर्शिता जांच करवाने हेतु श्रीमान के कार्यलय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 338 दिनांक 21 फरवरी 2023 को उपखण्ड अधिकारी, लूणी को शिकायत की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर जांच हेतु भिजवाई गई, उक्त परिवाद में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा आज तक क्या क्या जांच की गई, संपूर्ण जांच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	